

8-6-23 का पशु हा। 188

8-6-23 पत्रावली प्रशासन गांवों के संग। महंगाई राहत
कैम्प - 2023 कैम्प कोर्ट - सिनोदिया में पेशहुटी
वकील प्रार्थी व पैवैकार सरकार उपास्थित। वकील
प्रार्थी व पैवैकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील
प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा
दिनांक 13-5-91 को ग्राम सिनोदिया के ख. नं. 30/1 वकवा
1-06 बीघा व ख. नं. 3 1/2 स्कवा 8-14 बीघा भूमि जरिये
विष्णु - प्र के नारायण पुत्र रतना जाति स्वामी नि०-



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम-रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....जुगाराज कोठारी वनाम

.....पन्नालाल.....

किस्म मुकदमा :- २१२१८८

नंबर१४ वर्ष 20२२

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामीन में जारी हुए
	<p>सिनेडेया से बुय की थी। बुय दिनांक से पार्थी का कब्जा-काबत चला आ रहा है। उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम शिवनगर में खान. ३० रकबा १.६।४० हेक्टेयर में कितने विस्तृत भूमि जारी थे विरासत नामान्तरण से अपार्थी सं. १ से ५ के नाम अंकित हो जाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ। उक्त वादगस्त भूमि पार्थी की स्त्री दुशुहा भूमि है इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः पार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे। पिढीकार सरकार ने अपनी बटस में निवेदन किया कि वादगस्त भूमि अपार्थी सं. १ से ५ के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है एवं प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होता है। हमने उभयपक्ष की बटस पर मनन किया एवं पश्चावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। उभयपक्ष बटस एवं पश्चावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय</p>	



भारत प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना-प्रकल्प अन्तर्गत धारा- 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तार तक कन्फर्म किया जाता है परावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 8-6-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आम (कैम्प-कोर्ट) में सुनाया गया।

४
०८.६.२३
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

